

## कार्यालय

### सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राथिष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

लखनऊ दिनांक: 08/08/2021

### :-कार्यालय ज्ञाप:-

सचिवता महावीर एम.एन.ओ. शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (फार्मेटो) काउन्सिल गीतः इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय-सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी (सोच) तककीमे शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए गए हेतु दिनांक- (28.08.2021) को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्ण से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/ सम्बद्धता प्रवेश क्षमता एवं प्रवेश शुल्क तर्जिन अन्वय पूर्ण का विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय एवं निर्णय के अनुक्रम में सत्र संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित गतों के अन्तर्गत अनुमोदन एवं उतर्ग करिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 2751-NANLAL PRABHU DEVI PROFESSIONAL STUDIES, ALLAHAPUR, NAWABGANJ, BARABANKI**

क्र.सं०	शाखाक्रम का नाम	ए०आई०सी०वी०ई०पी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	60	60
1	DIPLOMA IN PHARMACY			

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०वी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 सेक्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीन स्वीका द्वारा/ पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 301 50.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक शाखाक्रम से प्राप्त किया जाएगा। अतीस के अतिरिक्त शाखाक्रमाओं से शुल्क के समन्वय में सहा-समय पर शासन द्वारा निर्मित विधे जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुमान करवाई किया जाता जायेगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विधारण किया जाता है, तो फीस की नवीकरण रई लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा समिति/ तथा उ० समिति/ संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता/ विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीलों से विद्यार्थी तब आने की स्थिति में जल प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-काल पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क भुगत करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०वी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता/ आवाश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने गये विधि/निर्णय/अधिसूचना/शासनादेश/निर्देशों एवं विदेशक/ प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०/ संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाने गये निर्णयों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

विशेष रूप से कार्यवाही का अन्तर्गत में ही भी नहीं। यदि किसी भी कारणवश कार्यवाही में अन्तर्गत नहीं है तो इस संबंध में समस्त कार्यवाही संस्था को देना और विशेष रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान नहीं होगा तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में वा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कबली होगी।

- ✓ विशिष्ट रूप से कार्यवाही का अन्तर्गत में ही भी नहीं। यदि किसी भी कारणवश कार्यवाही में अन्तर्गत नहीं है तो इस संबंध में समस्त कार्यवाही संस्था को देना और विशेष रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान नहीं होगा तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में वा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कबली होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन कक्षा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेवसाइज पर संस्था को समस्त सुधारों जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, कक्षा, कक्षा-संख्या, उपकरण, प्राण किया जाने वाला सुधार, आवास सुधार आदि का निर्धारण आवश्यक करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त बालावस्था उपलब्ध कराने के साथ, रैमिंग रीकॉर्ड के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो में कि संस्था में प्रस्तावित संचालित कार्यवाही को खराब करने हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध कराने पर अभिलेख, भूमि-सूचना, चर्च-उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यवाही के अन्तर्गत में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तरदायी का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, कक्षा, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सामान-संख्या एण्डआईआईआईआई/पीआईआईआई/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाता जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार कक्षा-संख्या कार्यवाही को कबली।

(सुनील कुमार सोमकर)

सचिव

पुसं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिपत्र:-

प्राथमिक/परिषद NANDLAL PRABHU DEVI PROFESSIONAL STUDIES, ALLAHAPUR, NAWABGANJ,  
BARABANKI



(सुनील कुमार सोमकर)

सचिव

**कार्यालय****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

**-कार्यालय जाप-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संचालित द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार कराया हूए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

**संस्था का कोड एवं नाम - 2751-NANDLAL PRABHU DEVI PROFESSIONAL INSTITUTE, ALAPUR, NAWABGANJ, BARABANKI.**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022- 23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियमावली 2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के

अतिरिक्त) हेतु ₹22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताप दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनिर्णयी/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशांक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन विस्तृत किया जाता है तो इस संबंध में सम्पत्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्पत्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनताप आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्पत्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृत्ति भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाले शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग, रोक्ने के सम्बन्ध में सम्पत्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्नलर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अंतर्गत स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के पालनानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

*(Signature)*

(एफ0आर0 खान)

सचिव

पु0सं0- प्राशिष/परिषद् समाह्वान/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NANDLAL PRABHU DEVI PROFESSIONAL INSTITUTE, ALAPUR,  
NAWABGANJ, BARABANKI.



(एफ0आर0 खान)

सचिव

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रासिप/परिषद सभ्यदत्ता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

**आर्थात्थ जाप:-**

भारतिय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों का अनुमानित वित्तगत प्रयत्न किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उ-क लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रयत्न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु भारतिय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावों को प्रयत्न अनुमानित वित्तगत एवं सम्बद्धता बाधिते द्वारा लिया गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रयत्न किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद उ-क लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रस्तावक एवं जल्में अर्जित प्रत्येक शर्तों हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रयत्न की जाती है:-

<b>संस्था का कोड एवं नाम : 2751-NANDLAL PRABHU DEVI PROFESSIONAL INSTITUTE, ALAPUR, NAWABGANJ, BARABANKI</b>			
क्र.सं०	प्रास्तावक का नाम	ए0आइ0सी0डी0आई0 पी0सी0आई0 डिप्लोमा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 उक्त प्रवेश क्षमता के तब सत्यापित 311/15-2298/92/2022 पैरामीटर-1 दिनांक 18 सई 2023 द्वारा पूर्व में संचालित संस्था संसदों की शर्तों के सिद्ध नलसीय स्वावलम्ब में पंजीक मिटे प्राविधिक संस्था 2022-2023 में नलसीय स्वावलम्ब के अधीन संबद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था भारतिय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ भारतिय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के तन्त्रक के अनुक्रम व्यवसाय में संस्था संसदान (पूर्णतः स्वतः की उपस्थिति) बाधिते उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उक्त प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, विनियमवाली 2000, संसद02 विनियमवाली 2018 तथा समय-समय पर निर्मित आदेशवाली का अनुपालन करेगी तथा कुलपति निर्देशक निर्णय द्वारा निर्धारित शुल्क की तत्परेक उपस्थिति से प्राप्त कियतु लागूग। उपरोक्त के अधीनस्थित करवालावाली से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सातान द्वारा निर्णय किये जाने वाले संसदवाली प्रकषी हूतः और शुद्धतः सम्पत्तशी शिक्षा प्राप्त प्रकषतक प्रस्ता। प्रीक निर्धारण समिति द्वारा सई सत्र 2022-23 हेतु प्रीक का पूर्णतः पालन कियतु जाता है, जो प्रीक की पालनतःप सई लागू होगी।
- ✓ संस्था में अनुप्राप्त स्तरीय प्रीक परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था जो संसद-समय का निर्णय संचालनतःप के अनुसारा निर्णयितःप प्रां सम्बद्धता शुल्क लागू करता होगा।
- ✓ संसदान उक्त प्रवेश क्षमता द्वारा निर्णय विनियमवाली अधिनियमवाली अधिनियमवाली एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, अनुसारा





छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली - उत्तर प्रदेश  
2020



Scholarship and Fee Reimbursement Online System - Uttar Pradesh

Website Home/Control Panel/Online Signature (MCA 21)

Type of Course		Regular / Full Finance				Partially Locked / Pending		Total	
Sl. No.	Course Name	Approved from 1st year to 4th year	Approved from 1st year to 4th year	Approved from 1st year to 4th year	Approved from 1st year to 4th year	Approved from 1st year to 4th year	Approved from 1st year to 4th year	Approved from 1st year to 4th year	Approved from 1st year to 4th year
1	B.Tech	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2	B.E	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
3	B.A	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

[Home](#) | [Control Panel](#) | [Online Signature](#) | [Help](#) | [Feedback](#)

**DIRECTOR**  
Nandini Prashu Devi  
Professional Institute  
Alapur, Barambasi



Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Status
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

